(ii) निवर्तनवादी मत (Preventive or Deterrent theory) :— इस सिद्धांत के अनुसार दण्ड का अर्थ है अपराध को रोकना। इस मत के अनुसार यदि किसी अपराधी को सजा दी जाती है, तो इसका मूल उद्देश्य होता है दूसरों को अपराध करने से रोकना। जैसे - हत्या और चोरी के लिए दण्ड देने का उद्देश्य है दूसरों को हत्या और चोरी से रोकना। इस मत के समर्थक अपराध के अनुपात में अधिक कठोर और कड़े दण्ड देने की वकालत करते है ताकि अपराधी को उदाहरण बनाया जा सके, जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति अपराध करने से घबराएँ। जैसे - रिश्वत लेने पर मृत्यु दण्ड तथा चोरी

करने पर ध्यान कार दिया जाना। इस मत में अपराधी को उदाहरण बनाने के लिए आवश्यकता से अधिक कठोर दण्ड दिया जाता है, जिसका अर्थ हुआ कि उसे अपराध रोकने के मात्र एक साधन के रूप में देखा जा रहा है, जो नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है।

(iii) सुधारवादी मत (Reformative Theory):- यह सिद्धांत मृत्यु-दण्ड का कड़ा विरोध करता है। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार दण्ड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना है, ताकि वह दुबारा अपराध न करें। यदि मृत्यु-दण्ड देकर अपराधी को ही खत्म कर दिया जाए, तो फिर सुधार किसका होगा? इस मत के अनुसार अपराधी को दण्ड भय के लिए नहीं बल्कि सुधार की भावना से देनी चाहिए। यह मत मानता है कि अपराध एक किस्म का मानसिक रोग है, इसलिये अपराधी को कठोर दण्ड देने के बजाए उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यह मत अपराध के लिए गरीबी, गैरबराबरी और सामाजिक परिस्थितियों को जिम्मेवार मानता है, अपराधी को नहीं इसलिए उसे सुधारने के लिए समाज की बुराइयों को दूर करने पर बल देता है। तथा अपराधी को सुधरने का मौका प्रदान करना इस मत का उद्देश्य है।

(iv) आदर्शात्मक सिद्धांत:- इस मत के अनुसार दण्ड अपराध के लिए या सुधार के लिए नहीं दिया जाता बल्कि अनैतिक कार्य के लिए दिया जाता है। इस प्रकार दण्ड नैतिक कार्य का पोषक हो जाता है, एक ओर दण्ड नैतिक कार्य को स्वतंत्रता प्रदान करता है तो दूसरी ओर यह अनैतिक भावना पर चोट भी पहुँचाता है। अतः दण्ड का आधार नैतिकता है।

Scanned with CamScanner